अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3056(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''डॉ. शीला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट सब यूनिट, शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर थैरेपी एंड रीसर्च, 140 माइलस्टोन, मसानी दिल्ली बाईपास लिंक रोड, मथुरा-281003'' द्वारा '' शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर थैरेपी एंड रीसर्च में सुविधाओं के विस्तार'' को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि हेतु 10 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित 42.26 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 24 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''डॉ. शीला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट सब यूनिट, शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर थैरेपी एंड रीसर्च, 140 माइलस्टोन, मसानी दिल्ली बाईपास लिंक रोड, मथुरा-281003'' द्वारा चलाई जा रही ''शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर थैरेपी एंड रीसर्च में सुविधाओं के विस्तार'' की परियोजना अथवा स्कीम को 10 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित 42.26 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है । चूँकि वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 पहले बीत चुके है, अत: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 हेतु कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा !

[सं. 246/2015/फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)